516
07/12/2017

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, (उ०शि०),
डिग्री विकास अनुभाग,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उ०प्र०, इलाहाबाद।

1318
27-11-17

श्रीमती श्वेता
वेबसाइट पर अपलोड करा दें।
07.12.17

सेवा में,

1. समस्त कुल सचिव,
राज्य विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
2. समस्त, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ०प्र०।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कानपुर मण्डल कानपुर
27.11.17
Sri A. Yadav
7.12.17

पत्रांक : डिग्री विकास / 14080—100 / 2017—18 दिनांक : 24 / 11 / 2017

विषय : उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति—2017 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0 2282 / सत्तर—3—2017 दिनांक 23 नवम्बर 2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति—2017 के कियान्वयन हेतु संलग्न नियमावली जिसे औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा दिनांक 25.06.2017 को निर्गत किया गया हैं, को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा हैं, कि उक्त नियमावली की प्रतियाँ प्रदेश में स्थित सभी केन्द्रीय / राज्य विश्वविद्यालयों को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु परिचालित कराने का कष्ट करें।

प्रकरण नीतिगत एवं अतिमहत्वपूर्ण है, कृपया शीर्ष प्राथमिकता पर कार्यवाही अपेक्षित है।

संलग्नकः यथोक्त —

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
डॉ०(प्रीति गौतम)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०)
कृते शिक्षा निदेशक, (उ०शि०)
उ०प्र० इलाहाबाद

पृ०सं०—डिग्री विकास अनुभाग / 14080—100 / उसी तिथि को,

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

(1) श्रवण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—3 उ०प्र० शासन लखनऊ।

(हस्ताक्षर)
डॉ०(प्रीति गौतम)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०)
कृते शिक्षा निदेशक, (उ०शि०)
उ०प्र० इलाहाबाद।

ईमेल

कार्यालय - क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मंडल
पृष्ठांकन: ई-मेल 3614/2017-18 दिनांक 06-12-17

कृपया उपरोक्त की प्राप्ति के पश्चात अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
समस्त प्राचार्य/प्राचार्या O/C
कानपुर मंडल।

(हस्ताक्षर)
डा० (अनिल कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
कानपुर।

Scanned by CamScanner

संख्या–2282 / सत्तर–3–2017

प्रेषक,

श्रवण कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 25 नवम्बर, 2017

विषयः– उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के क्रियान्वयन हेतु संलग्न नियमावली, जिसे औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 25–06–2017 को निर्गत किया गया है, की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने स्तर से उक्त नियमावली की प्रतियाँ प्रदेश में स्थित सभी केन्द्रीय / राज्य विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु परिचालित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(श्रवण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

स0 नि0 II

24/11/2017

सी0 ई0 प्रकोष्ठ
सूचनार्थ प्रेषित करें

24.11.17

2
24/11/17

Scanned by CamScanner

2282/70.5.24

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या:-1359 /77-6-17-5(एम)/17
लखनऊ : दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत राज्य सरकार को दी गयी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन हेतु संलग्न नियमावली निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संलग्नक:यथोक्त।

आलोक सिन्हा
प्रमुख सचिव।

संख्या:-1359 (1) /77-6-17-5(एम)/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, पिकप/उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम।
6. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
7. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवंऔद्योगिक विकास विभाग।
10. गार्ड पत्रावली।

3249/ACSHE/17
6382/VS(MJ)/17
14-11-2017
(संजय अग्रवाल)
अपर मुख्य सचिव,
माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग
उ०प्र० शासन।

16/11/2017

आज्ञा से,

(अतकनंदा दयाल)
सचिव।

<u>औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के कियान्वयन सम्बन्धी नियमावली</u>

1.0 <u>संक्षिप्त नाम</u>

1.1 यह नियमावली "औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के [illegible] सम्बन्धी नियमावली" कहलाएगी।

1.2 यह नियमावली दिनांक 13.7.2017 से [illegible] इसे संशोधित नहीं [illegible]

2.0 <u>परिभाषायें</u>

2.1 "स्वीकार्य पूँजी निवेश" का तात्पर्य [illegible] पूर्वांचल क्षेत्र में पात्र पूँजी निवेश का 300 प्रतिशत एवं [illegible] प्रतिशत, से है।

2.2 "स्वीकार्यता की तिथि" का तात्पर्य औद्योगिक निवेश [illegible] सुविधाओं के आहरण के प्रयोजनार्थ उस तिथि से है जिस पर [illegible] अनुसार पात्र पूँजी निवेश की थ्रैशोल्डसीमा प्राप्त कर वाणिज्यिक [illegible] किया जा चुका है। प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ किसी औद्योगिक उपकम द्वारा प्रस्तावित पूँजी निवेश [illegible] रूप से किया जाता है, वहाँ ऐसे औद्योगिक उपकम द्वारा किसी एक चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर लिया गया हो एवं सुविधाओं हेतु आवेदन करने से पूर्व स्वीकार्यता की तिथि पर पहुंच गया हो। स्पष्ट किया जाता है कि केवल ऐसे औद्योगिक उपकम, जोकि प्रभावी तिथि के पश्चात उत्पादन प्रारम्भ करते हैं, सुविधाओं हेतु पात्र होंगे।

2.3 "पूँजीगत निवेश" का तात्पर्य है:

2.3.1 लघु व मध्यम औद्योगिक उपकमों के सम्बन्ध में, पात्र निवेश की अवधि के भीतर भूमि, भवन व ऐसे यंत्र एवं संयत्रों में किया गया निवेश, जैसा कि सूक्ष्म, लघु एवं [illegible] 2006 में लघु एवं मध्यम उद्यमों के सन्दर्भ में [illegible] है।

2.3.2 वृहत्, मेगा, मेगा [illegible] की अवधि के भीतर [illegible] टूल्स एवं उपकरण [illegible] गया निवेश [illegible] उपकम द्वारा [illegible]

Scanned by CamS